

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :- सत्य नारायण-1 (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :- 05/2026

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2026/6

दायर दिनांक :- 05.01.2026

निर्णय दिनांक :- 27.04.2026

1. मोहनी पत्नी ओमप्रकाश भंवाल जाति विश्णोई निवासी मानेवड़ा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
-वादिनी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी (राज.)

-प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :-1. श्री मदनसिंह भाटी अधिवक्ता वादिनी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार घंटियाली

-:: निर्णय ::-

वादिनी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का इस आशय से पेश किया कि वादिनी की खरीदसुदा खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 454/2 रकबा 4.8562 हैक्टेयर भूमि सरहद मौजा चाम्पासर पटवार हल्का चाम्पासर तहसील बाप जिला फलोदी में स्थित है। वादग्रस्त भूमि जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र के वादिनी ने खरीद की थी जिसमें वादिनी का बचपन का एवं बोलता नाम मोहनी देवी पत्नी ओमप्रकाश टंकित किया हुआ है। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर खरीद अनुसार वादिनी के पक्ष में नामान्तरकरण भी भरा जाकर स्वीकृत हो चुका है लेकिन वादिनी का सही एवं वास्तविक दस्तावेजी नाम मोहिनी पत्नी ओमप्रकाश भंवाल है इसी नाम से वादिनी के संबंधित दस्तावेज आधार कार्ड, पैन कार्ड, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड, पति के सैन्य सेवा रिकार्ड में दर्ज और घर परिवार व गांव में भी वादिनी को वर्तमान में मोहिनी पत्नी ओमप्रकाश भंवाल के नाम से ही जाना पहचाना जाता है तथा इसी नाम से सभी संव्यवहार करता है लेकिन राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में वादिनी का नाम मोहनी देवी पत्नी ओमप्रकाश ही दर्ज है। उक्त भिन्नता की वजह से वादिनी अपनी उक्त कृषि भूमि पर कृषि विधुत कनेक्शन, कृषि ऋण व अन्य राजस्व संबंधित सुविधायें नहीं ले पा रहा है तथा नहीं उसे किसी प्रकार की सरकार सहायता प्राप्त हो रही है तथा अन्य पेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिये वादिनी ग्राम चाम्पासर पटवार हल्का चाम्पासर तहसील घंटियाली के खसरा नम्बर 454/2 रकबा 4.8562 हैक्टेयर भूमि में दर्ज वादिनी के बोलते नाम मोहनी देवी पत्नी ओमप्रकाश के स्थान पर सही एवं वास्तविक तथा दस्तावेजी नाम मोहिनी पत्नी ओमप्रकाश भंवाल के नाम से खातेदार काश्तकार की घोषणा करवाने का अधिकारी है।

वादिनी का वाद प्रस्तुत होने पर सिगंदार की रिपोर्ट ली जाकर वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। पैरोकार सरकार ने उपस्थित होकर कथन किया कि वादिनी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर नाम दुरुस्ती की जाती है तो कोई आपत्ति नहीं है। वादिनी ने अपने साक्ष्य का शपथ पत्र पेश किया इनके बयान पी.डब्ल्यू-1 कलमबद्ध किये जाकर शामिल पत्रावली किये

Satya ..
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

गये। प्रतिवादी की ओर से वाद का विरोध नहीं होने से तनकियात कायम नहीं की गई। पत्रावली बहस में रखी गयी।

अधिवक्ता वादिनी एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन, चिन्तन एवं मनन करने पर पाया गया कि जमाबंदी सम्वत 2077-2080 ग्राम चाम्पासर पटवार हल्का चाम्पासर तहसील घंटियाली के खसरा नम्बर 454/2 रकबा 4.8562 हैक्टेयर स्थित है। वादिनी का नाम राजस्व अभिलेख जमाबंदी में मोहनीदेवी पत्नी ओमप्रकाश दर्ज है। वादिनी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज यथा जन आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड, राशन कार्ड, वादिनी के बयान इत्यादि से साबित है कि वादिनी का नाम मोहिनी पत्नी ओमप्रकाश भंवाल है। वादिनी के बयान पी.डब्लू-1 में पंजीबद्ध विक्रय विलेख प्रदर्श-1, वर्तमान जमाबंदी प्रदर्श-2, मतदाता पहचान पत्र प्रदर्श-3ए, जन आधार कार्ड प्रदर्श-4ए, पेन कार्ड प्रदर्श-5ए, पारिवारिक विवरण प्रदर्श-6ए है। वादिनी को मोहनी देवी पत्नी ओमप्रकाश के स्थान पर मोहिनी पत्नी ओमप्रकाश भंवाल के नाम से खातेदार घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है। वादिनी ने अपने वाद को साबित करने के लिए पर्याप्त दस्तावेजात एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत किये हैं। अतः वादिनी का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

आदेश

उपर्युक्त विवेचनानुसार वाद वादिनी स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है कि ग्राम चाम्पासर पटवार हल्का चाम्पासर तहसील घंटियाली के खसरा नम्बर 454/2 रकबा 4.8562 हैक्टेयर भूमि में वादिनी के राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज नाम मोहनी देवी पत्नी ओमप्रकाश के स्थान पर मोहिनी पत्नी ओमप्रकाश भंवाल के नाम से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार घंटियाली माफिक आदेश राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर पालना करे। डिक्री पर्चा अलग से मुर्तिब हो। मिसल फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.04.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



Saty
(सत्य नारायण, R.A.S.)
सहायक कलेक्टर एवं
बाप (फ़लोदी)
बाप (फ़लोदी)

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मुकाम बाप
बइजलास पीठासीन अधिकारी सत्य नारायण-1 (आर.ए.एस.)

1. मोहिनी पत्नी ओमप्रकाश भंवाल जाति विश्‍नोई निवासी मानेवडा तहसील घंटियाली जिला फलोदी
-वादी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी (राज.)

-प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मुकदमा संख्या :- 04/2026

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे सत्य नारायण-I पीठासीन अधिकारी व हाजिर मदनसिंह भाटी मिनजानिब मुदई व पैरोकार सरकार मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि ग्राम चाम्पासर पटवार हल्का चाम्पासर तहसील घंटियाली के खसरा नम्बर 448 रकबा 0.3885 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 454/2 रकबा 4.8562 हैक्टेयर भूमि में वादिनी के राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज नाम मोहनी देवी पत्नी ओमप्रकाश के स्थान पर मोहिनी पत्नी ओमप्रकाश भंवाल के नाम से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार घंटियाली माफिक आदेश राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर पालना करे। नीचे

मुतालिक

खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर

वसूल याबी तक

बाबत्

फीस सदी सालाना आज की तारीख

को अदा करे।

वसूल मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 27.04.2026 को जारी की गई।



Saty
(सत्य नारायण-I R.A.S.)
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील खर्चा गवाहन फीस कमीशनर बाबत् इजराय हुक्मनामा मिजान			स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प अर्जी मेहनताना वकील खर्चा वाहन फीस कमीशनर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुत्फरिक मिजान		

नोट :- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।